न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 05/2020
तारीख दायरा :– 07.09.2020

प्रार्थी :–

मांगीलाल पुत्र इन्दाराम जाति –घांची
निवासी–सादडी तहसील–देसूरी जिला–पाली(राजस्थान)

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी जिला–पाली(राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1– प्रार्थी की ओर से – वकील छगनलाल गहलोत।
2– अप्रार्थी की ओर से – श्री ईश्वरसिंह, नायब तहसीलदार देसूरी पैरोकार सरकार।

–: निर्णय :– **दिनांक– 29.07.2021**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त सामलाती खातेदारी कृषि भूमि ग्राम मौजा सादडी चक 1 में खसरा नम्बर 179, 180, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392 एवं 2417 कुल खसरा 26 कुल रकबा 10.25 हेक्टर कुल लगान 125.29 स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/10 वां हिस्सा आता है। प्रार्थी व उसके पूर्वजों का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी अपने भाई बंट अनुसार जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण के प्रार्थी व उसके भाई सोनाराम का नाम उक्त आराजी में दर्ज हुये। जिसमें रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थी के भाई का नाम सोनाराम पुत्र इन्दाराम सही व सम्मानजनक दर्ज हुआ। परन्तु फौतेदगी नामान्तरकरण भरते वकत प्रार्थी का नाम मांगीलाल के स्थान पर मांगा पुत्र इन्दा दर्ज हुआ, जो सम्मानजनक नहीं होकर बोलचाल की भाषा में दर्ज किया गया है। जिससे सरकार की योजना अनुसार प्रार्थी का वास्तविक नाम मांगीलाल पुत्र इन्दाराम है, जो उसके तमाम दस्तावेजो (राशनकार्ड, आधारकार्ड, जनआधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैक खाता इत्यादि) से प्रमाणित है, जो सम्मानजनक है। जिससे प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रेकर्ड में सुधारा जाना कानूनी न्यायसंगत है। नाम नहीं सुधरने से प्रार्थी अपनी राजस्व भूमि पर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है तथा रेकर्ड व अपने द[illegible] नाम का सही मिलान नहीं होने से उक्त योजनाओ का लाभ प्रार्थी [illegible] इसलिये प्रार्थी का नाम सम्मानजनक मांगा पुत्र इन्दा के [illegible] में मांगीलाल पुत्र [illegible]राम दर्ज करवाना कूननी आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा दिनांक [illegible]08.2020 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:00:55 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमश (2) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर 5/2020 अनवान मांगीलाल बनाम राज. सरकार जरिये तहसीलदार अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. अधिनियम.........

अपनी जमाबन्दी निकलवाने पर नाम देखने पर जानकारी में आया, जिससे प्रार्थना पत्र अन्दर मयाद दस्तावेजों के साथ पेश किया गया।

राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम मांगा पुत्र इन्दा के स्थान पर सम्मानजनक एवं दस्तावेजों अनुसार सही नाम मांगीलाल पुत्र इन्दाराम दर्ज करवाने का आदेश तहसीलदार देसूरी को प्रदान करावें।

अप्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर जाहिर किया गया कि वादग्रस्त आराजी में मांगा पुत्र इन्दा कौम घांची का 1/10 हिसा है। प्रार्थी मांगीलाल का नाम रेकर्ड में नई मिसल बन्दोबस्त से ही मांगा दर्ज है। सम्मानजनक नाम किया जाना न्यायालय का क्षेत्राधिकार है।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुमायत की गई। पत्रावली राजस्व रिकॉर्ड मय प्रस्तुत दस्तावेजनों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से एवं बहस पर मनन करने से यह प्रतीत होता है कि वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम सादडी चक 1 के खसरा नम्बर 179, 180, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392 एवं 2417 कुल खसरा 26 कुल रकबा 10.25 हेक्टर खाता संख्या 732 में मांगा पुत्र इन्दा घांची का 1/10 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। फौतेदगी नामान्तरकरण के वक्त प्रार्थी व उसके भाई का सोनाराम का नाम आराजी में दर्ज हुए है। सोनाराम पुत्र इन्दाराम का नाम सही दर्ज हुआ है लेकिन प्रार्थी मांगीलाल के स्थान पर मांगा दर्ज हुआ है, जो सम्मानजनक नहीं होना जाहिर होता है। जो राजस्व रिकॉर्ड मिसल बन्दोबस्त संवत् 2041 से 2060 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में मांगा ही चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधारकार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान–पत्र इत्यादित में मांगीलाल पुत्र इन्दाराम नाम दर्ज होना प्रमाणित है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम मांगा पुत्र इन्दा के स्थान पर सम्मानजनक एवं दस्तावेज अनुसार सही नाम मांगीलाल पुत्र इन्दाराम जाति घांची दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार देसूरी राजस्व रिकॉर्ड में सम्मानजनक नाम मांगीलाल पुत्र इन्दाराम दर्ज करें। तहसीलदार देसूरी को निर्णय की सत्यापित प्रति तहरीर के साथ पालना हेतु भेजी जावें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
(उपखण्ड) अधिकारी
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 29.07.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:00:55 IST
Reason: SelfAttested